Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में सहायक उपनिरीक्षक पुलिस एवं उसका दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 35 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *11 मई, गुरूवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट इकाई, उदयपुर द्वारा आज मनोहर लाल मीणा सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना गोवर्धनविलास, उदयपुर को उसके दलाल शिवलाल (प्राईवेट व्यक्ति) सहित परिवादी से **35 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट इकाई, उदयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके भाई एवं पिता के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में एफआर लगाने की एवज में अनुसंधान अधिकारी मनोहर लाल मीणा सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना गोवर्धनविलास, उदयपुर द्वारा उसके दलाल शिवलाल (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **1 लाख रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। परिवादी के काफी अनुनय विनय करने के बाद आरोपी सहायक उपनिरीक्षक **50 हजार रूपये** रिश्वत राशि पर सहमत हुआ है।

जिस पर एसीबी के उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की स्पेशल यूनिट इकाई, उदयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री आदर्श कुमार परिहार** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये मनोहर लाल मीणा पुत्र स्व. श्री मगनलाल निवासी रायणा फला, ऋषभदेव, जिला उदयपुर हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना गोवर्धनविलास, उदयपुर एवं उसके दलाल शिवलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल निवासी खाराकुई बलीचा उदयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **35 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।